

राजस्थान सरकार  
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 20(5)त.शि./04-पार्ट I

जयपुर, दिनांक, 13 अक्टूबर, 2020

प्राचार्य,  
अभियांत्रिकी महाविद्यालय  
महिला अजमेर।

विषय :- Approval of Minutes of meeting dated 21-09-2020 of Board of Governors.


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके महाविद्यालय की बीओजी की बैठक दिनांक 21.09.2020 में लिये गये निर्णयों के क्रम में प्रस्तुत कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। अतः बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(डॉ. मनोष गुप्ता)  
संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. स्टेट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एसपीआईयू टेक्यूप-III जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त सचिव, त.शि.



19<sup>th</sup> Meeting of Board of Governance (BoG) of Mahila Engineering College, Ajmer (Engineering College Society, Ajmer) was held on Monday, September 21, 2020 at 11.00 AM through online VC by vide order no.22(5)T.E./04-I Jaipur Dated: 11.09.2020 & 18.09.2020, Technical Education Department, GoR, Jaipur under the Presidentship of Dr. Subhash Garg, Hon'ble MoS Technical Education and under the Chairmanship of Prof. N. C. Shivaprakash, Hon'ble Chairman, BoG.

### ATTENDANCE

#### Special Invitee:

- Prof R.A. Gupta, Hon'ble Vice-Chancellor, Rajasthan Technical University, Kota
- Prof. R.P. Dahiya, Former Director, MNIT, Jaipur

#### Following Members were present:

1. Smt. Shuchi Sharma, Secretary, Technical Education, Govt. of Rajasthan
2. Prof. R.S. Rathore, Dean, Haryana Vishwakarma Skill University, Gurugram (AICTE Nominee)
3. Sh. Anil Kumar Agarwal, Joint Secretary-I, TE, GoR, Jaipur & Director, Board of Technical Education, Jodhpur
4. Dr. S. K. Bansal, University Nominee, BTU, Bikaner
5. Dr. Mahesh Bohra, Member
6. Sh. S.S. Agrawal, Member
7. Dr. Ashok Kumar, Member
8. Dr. J.K. Deegwal, Principal & Member Secretary

#### Following members were absent:

9. Nominee, Principal Secretary (Finance)

#### Following persons were also present:

10. Sh. Manish, Gupta, Joint secretary-II, TE, GoR, Jaipur
11. Dr. Sundeep Kumar, Director, CEG, Jaipur
12. Dr. U.S. Modani, Principal, EC, Ajmer
13. Dr. B.L. Gupta, Principal EC, Banswara
14. Prof. Uday A Dabade, SPA, SPIU, TEQIP-III, Jaipur
15. Dr. Ankur Pareek, SPIU, TEQIP-III, Jaipur
16. Dr. D.C. Goyal, NO (Finance), SPIU, TEQIP-III, Jaipur
17. Mr. M.A. Pathan, TE, GoR, Jaipur

प्रस्ताव सं. 19.01 : 18वीं शासी परिषद् के कार्यवृत्त (मिनट्स) की पुष्टि व क्रियान्विति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : अनुमोदित।



महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर (अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर)  
उन्नीसवीं शासी परिषद् कार्यवृत्त

- प्रस्ताव सं. 19.02 : टेक्युप तृतीय संबंधित त्रिमासिक एक्शन प्लान अक्टूम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 तक व अन्य प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय : अनुमोदित।
- प्रस्ताव सं. 19.03 : नई उच्च अध्ययन पॉलिसी-2020 को महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति (अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति अजमेर) को महाविद्यालय में अभिग्रहण (Adoption) शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय : As per Common Agenda decision No. 8
- प्रस्ताव सं. 19.04 : 18वीं शासी परिषद् के प्रस्ताव संख्या 18.4 से वर्ष 2011-12 व अन्य में नियुक्त संकाय सदस्यों के कैरियर उन्नति योजना बिन्दु संख्या 12 के निर्णय अनुसार लागू की अनुमति पश्चात प्रक्रियाधीन कार्यवाही का विस्तृत विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय : कॉमन एजेन्डा निर्णय संख्या 1 के अनुसार।
- प्रस्ताव सं. 19.05 : अशैक्षणिक कर्मचारियों के तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र एफ.8(16)त.शि./2020 जयपुर दिनांक 15.07.2020 की अनुपालना के क्रम में पदोन्नति संबंधित कार्यवाही 6वीं शासी परिषद् में अनुमोदित व प्रावधानान्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति के नियमित बैठक नियमानुसार कराने की अनुमति का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय : स्थगित।
- प्रस्ताव सं. 19.06 : श्रीमती कोमल अरोड़ा, पूर्व सहायक आचार्य महाविद्यालय से लियन पर दिनांक 04.07.2018 से, व हाल कार्यरत सहायक आचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, नीमराना के लियन पर रहते हुये सातवें वेतनमान के



- नियतीकरण के संबंध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं अग्रिम आदेशनार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय : इस हेतु पृथक से पत्रावली तकनीकी शिक्षा विभाग को प्रेषित की जावें।
- प्रस्ताव सं. 19.07 : रिपोर्टिंग प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।
- 1 : शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से महाविद्यालय के Electronics & Communication Engineering के 120 छात्रा प्रवेश क्षमता में से 60 प्रवेश क्षमता पर प्रवेश दिया जावेगा। तथा शेष 60 प्रवेश क्षमता में से 30 प्रवेश क्षमता पर Internet of Things (IoT) एवं अन्य 30 प्रवेश क्षमता पर Artificial Intelligence and Machine Learning (AI&ML) में प्रवेश दिया जावेगा।
- निर्णय : नोटेड (Noted)
- 2 : शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से Electrical Engineering में शोध केन्द्र (Ph.D.) संचालन की अनुमति बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर से प्राप्त की गई है। जिसके अन्तर्गत Electrical Engineering के अन्तर्गत शोधार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा।
- निर्णय : नोटेड (Noted) तथा महाविद्यालय में संचालित शोध केन्द्रों में छात्र एवं छात्रा दोनों को प्रवेश की अनुमति दी जावेगी।



दिनांक 21 व 22 सितम्बर, 2020 को ऑनलाइन आयोजित अभियांत्रिकी  
महाविद्यालयों की बीओजी बैठक के कॉमन निर्णय

1. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के 6th CAS के एजीपी (6000-7000) के प्रकरणों में से जिन प्रकरणों में सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा 2011-12 की भर्ती की विशेष जाँच की कठिनाई अवगत करायी गयी है, उन प्रकरणों को प्राचार्य द्वारा केसवाइज शिक्षक की योग्यता, आक्षेप, निरीक्षण विभाग को जवाब एवं महाविद्यालय का प्रस्ताव सहित प्रकरण तकनीकी शिक्षा विभाग को भिजवाये जावें।
2. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को सी.सी.टी.वी से ऑनलाइन करते हुये प्रेसीडेंट महोदय के कार्यालय कक्ष के टी.वी. से जोडा जावें।
3. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कम कीमत के वेन्टीलेटर एवं हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम निर्माण करने की कार्यवाही की जावें।
4. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को विद्यार्थियों की लर्निंग के लिए ऐप विकसित करने की योजना बनानी चाहिए।
5. आगामी बी.ओ.जी. में सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा Best Practices के बारे में अवगत कराया जावें।
6. अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा विद्यालयो, सोसाइटी व जन प्रतिनिधियों से सतत सम्पर्क किया जाकर प्रवेश बढ़ाये जावें।
7. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं के कम्प्यूटर एवं अन्य Infrastructure का आंकड़ा लिया जावें। इन कम्प्यूटर्स के माध्यम से क्षेत्र के विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कम्प्यूटर ट्रेनिंग की योजना पर विभाग द्वारा कार्ययोजना बनाई जावें।
8. तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नवीन उच्च अध्ययन नीति दिनांक 7.8.2020 एवं संशोधन दिनांक 18.09.2020 का adoption किया गया।
9. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा टेक्यूप के अन्तर्गत अकादमिक ऑडिट वर्तमान सत्र में करवाया जावें।
10. सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में वास्तविक प्रवेश के आधार पर स्टाफ (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) की गणना की जावें। इसके आधार पर अन्य महाविद्यालयों में स्टाफ को भेजे जाने के निर्देश विभाग को दिये गये।